भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2723
04 अगस्त, 2026 को उत्तर के लिए

समुद्री खाद्य निर्यात

2723. श्री गणेश सिंह:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के समुद्री खाद्य निर्यात के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँचने के क्या कारक हैं और इसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई), मात्स्यिकी और जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि (एफआईडीएफ) जैसी प्रमुख पहलों और एमपीईडीए के माध्यम से किए गए निर्यात संवर्धन प्रयासों की क्या भूमिका रही है;

(ख) वर्ष 2014 से अब तक इन पहलों के अंतर्गत किए गए निवेश, अवसंरचना और शामिल किए गए लाभार्थियों का ब्यौरा क्या है और इनका मत्स्य उत्पादन, मूल्यवर्धन, रोजगार सृजन और निर्यात वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान जलीय कृषि और समुद्री मात्स्यिकी क्षेत्रों के योगदान सहित समुद्री खाद्य निर्यात का खाद्य वस्तु-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारतीय समुद्री खाद्य उत्पादों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए शीत श्रृंखला अवसंरचना, प्रसंस्करण क्षमता, गुणवत्ता प्रमाणन, पता लगाने की क्षमता और बाजार अभिगम्यता को मजबूत करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (घ) : मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार ने वर्ष 2015 से मात्स्यिकी और जलकृषि के समग्र विकास और मछुआरों के कल्याण के लिए 39,272 करोड़ रुपए के संचयी परिव्यय के साथ प्रमुख योजनाओं के माध्यम से मात्स्यिकी क्षेत्र में पर्याप्त निवेश किया है, जिसमें शामिल हैं (i) 5,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ नीली क्रांति योजना (2015-16 से 2019-20); (ii) 7,522.48 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ मात्स्यिकी और जलकृषि अवसंरचना विकास निधि (एफआईडीएफ) (2018-19 से 2025-26) ; (iii) ₹20,750 करोड़ के परिव्यय वाली प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) (2020-21 से आगे); (iv) ₹6,000 करोड़ के कुल बजट वाली प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (PMMKSSY) (2023-24 से 2026-27); और (v) मछुआरों और मत्स्य किसानों की कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) सुविधा का विस्तार। इन हस्तक्षेपों का उद्देश्य मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना, पोस्ट-हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ करना, गुणवत्ता, पता लगाने की क्षमता और विपणन में सुधार करना, रोजगार सृजन करना और मछुआरों व मत्स्य किसानों की आय में वृद्धि करना है। इन पहलों के निरंतर कार्यान्वयन ने उत्पादन,

इंफ्रास्ट्रक्चर, मूल्यवर्धन, गुणवत्ता आश्वासन और बाजार पहुंच को काफी सुदृढ़ किया है, जिससे वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान भारत का अब तक का सर्वाधिक ₹73,890.46 करोड़ का समुद्री उत्पाद निर्यात हुआ है।

PMMSY के अंतर्गत, ब्रांडिंग, मानक, प्रमाणन, ट्रैसेबिलिटी, क्षमता निर्माण, पोस्ट-हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल्ड-चेन सुविधाओं को बढ़ावा देने और फिशिंग हार्बर व फिश लैंडिंग सेन्टर्स के आधुनिकीकरण के लिए परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा, मात्स्यिकी और जलकृषि अवसंरचना विकास निधि (FIDF) के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है। इन योजनाओं के तहत स्वीकृत प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर गतिविधियों में शामिल हैं; 183 फिशिंग हार्बर और फिश लैंडिंग केंद्र , 775 कोल्ड स्टोरेज और आइस प्लांट, 1,394 जीवित मत्स्य वेंडिंग इकाइयां, 6,018 फिश कियोस्क, 117 खुदरा मत्स्य बाजार, 24 थोक मत्स्य बाजार, मत्स्य परिवहन सुविधाओं की 28,489 इकाइयां जैसे 13,718 आइस बॉक्स के साथ मोटरसाइकिल, 8,527 आइस बॉक्स के साथ साइकिल, 4,257 ऑटो-रिक्शा, 1,577 इंसुलेटेड ट्रक और 410 रेफ्रिजरेटेड ट्रक।

बाज़ार पहुँच को मज़बूत करने के लिए, सरकार नए फ़्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) कर रही है और साथ ही मौजूदा FTA का बेहतर उपयोग भी सुनिश्चित कर रही है। मत्स्यपालन विभाग द्वारा मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहित करने, समुद्री खाद्य निर्यात इकोसिस्टम को सुदृढ़ बनाने तथा बाजार के अवसरों का विस्तार करने के उद्देश्य से व्यापक हितधारक परामर्श एवं रणनीतिक संवाद भी आयोजित किए गए हैं। इसके अंतर्गत अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में निवेशक सम्मेलन, तटीय राज्य मत्स्य सम्मेलन (मुंबई), अंतर्देशीय मत्स्यपालन एवं जलकृषि सम्मेलन (इंदौर), समुद्री खाद्य निर्यातक सम्मेलन (नई दिल्ली, वर्ष 2025 एवं 2026), शीत जल मात्स्यिकी पर राष्ट्रीय कार्यशाला (श्रीनगर), समुद्री खाद्य निर्यात पर राष्ट्रीय कार्यशाला (विशाखापत्तनम) तथा विश्व मात्स्यिकी दिवस समारोह (नई दिल्ली) का आयोजन किया गया। समुद्री खाद्य निर्यात को प्रोत्साहित करने, राजनयिक सहभागिता को सुदृढ़ बनाने, बाजार पहुँच को सुगम बनाने, सतत् मात्स्यिकी के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने तथा मात्स्यिकी एवं जलकृषि क्षेत्र में निवेश एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नई दिल्ली में 39 देशों के राजदूतों एवं उच्चायुक्तों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त, भारतीय समुद्री खाद्य उत्पादों के लिए बाज़ार पहुँच के मुद्दों को सुलझाने और निर्यात के अवसरों को बढ़ाने के लिए प्रमुख आयातक देशों के साथ द्विपक्षीय चर्चा की जा रही है। इसके अलावा, इस क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए, सरकार नियामक सुधारों और आयात प्रक्रियाओं को सरल बनाकर व्यवसाय करने को आसान (ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस) बना रही है। हालिया केंद्रीय बजट ने मूल्यवर्धित निर्यात को बढ़ावा देने के लिए समुद्री खाद्य प्रसंस्करण में उपयोग किए जाने वाले विशिष्ट इनपुट की शुल्क-मुक्त आयात सीमा को पिछले वर्ष के 'फ्री ऑन बोर्ड' (FOB) निर्यात मूल्य के 1% से बढ़ाकर 3% कर दिया है।

स्थिरता और अनुपालन संबंधी पहलों में ट्रॉल जालों में टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइसेस (टीईडी) को बढ़ावा देना, एंटीबायोटिक अवशेष नियंत्रण को सुदृढ़ करना, समुद्री स्तनधारियों के संरक्षण का समर्थन करना और एक व्यापक मात्स्यिकी ट्रेसिबिलिटी फ्रेमवर्क का कार्यान्वयन शामिल है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में उच्च-मूल्य, निर्यात-उन्मुख मात्स्यिकी को बढ़ावा देने के लिए 'अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में मात्स्यिकी का सतत दोहन नियम, 2025' भी अधिसूचित कर दिए गए हैं। निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप, विगत कुछ वर्षों में यूरोपीय संघ, चीन, रूस, यूनाइटेड किंगडम (UK), तुर्की और ब्राज़ील को निर्यात के लिए स्वीकृत मात्स्यिकी इकाइयों की संख्या बढ़ी है।

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (MPEDA) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 'टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फॉर स्पेसिफिक वैल्यू-एडेड मरीन प्रोडक्ट्स' (TDSVMP) योजना के माध्यम से निर्यात-उन्मुख मूल्य-वर्धित

इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना मत्स्य प्रसंस्करण सुविधाओं, कोल्ड स्टोरेज, ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग मशीनरी, जीवित, ठंडी, सजावटी और सूखी मछलियों के रखरखाव के इंफ्रास्ट्रक्चर और नए मूल्यवर्धित समुद्री खाद्य उत्पादों के विकास का समर्थन करती है। 2021-22 से 2025-26 की अवधि के दौरान, इस योजना के तहत 89 समुद्री खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को ₹118.10 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

इसके अलावा, वाणिज्य विभाग के अंतर्गत एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल (EIC) समुद्री उत्पादों सहित अधिसूचित निर्यात उत्पादों की गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण के लिए सक्षम प्राधिकारी है। आयातक देशों की अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, EIC स्वीकृत सीफूड निर्यात प्रतिष्ठानों के लिए खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (FSMS) आवश्यकताओं पर समय-समय पर प्रशिक्षण आयोजित करता है और निर्यात प्रमाणन के दौरान जलकृषि झींगे में प्रतिबंधित एंटीबायोटिक दवाओं के परीक्षण को अनिवार्य बनाता है। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) द्वारा शाफरी (SHAPHARI) जैसे प्री-हार्वेस्ट टेस्टिंग एवं प्रमाणीकरण कार्यक्रमों के माध्यम से इन प्रयासों को सुदृढ़ किया जा रहा है। साथ ही, एमपीईडीए, तटीय जलकृषि प्राधिकरण (सीएए) तथा निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी) संयुक्त रूप से राष्ट्रीय अवशेष नियंत्रण योजना (एनआरसीपी) का कार्यान्वयन कर रहे हैं, ताकि अवशेषों की निगरानी, ट्रेसेबिलिटी तथा अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुपालन को सुदृढ़ बनाया जा सके।

मत्स्यपालन विभाग द्वारा संचालित विभिन्न मात्स्यिकी विकास योजनाओं तथा भारत सरकार की अन्य पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन से मात्स्यिकी क्षेत्र के विकास में उल्लेखनीय योगदान प्राप्त हुआ है। इसके परिणामस्वरूप, वार्षिक मत्स्य उत्पादन में वर्ष 2013-14 के 95.79 लाख टन से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 197.75 लाख टन होने के साथ 106 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इसी प्रकार, समुद्री खाद्य उत्पादों के निर्यात में वर्ष 2013-14 के ₹30,213 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2025-26 में ₹73,890.46 करोड़ होने के साथ 100 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। समुद्री खाद्य निर्यात में मूल्य संवर्धित उत्पादों की हिस्सेदारी वर्ष 2013-14 के 2 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 11 प्रतिशत हो गई है। इसके अतिरिक्त, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों का सृजन हुआ है, जिससे लगभग 75.07 लाख मछुआरे , मत्स्य किसान तथा अन्य हितधारक लाभान्वित हुए हैं ।

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, विगत पाँच वर्षों के दौरान राज्यवार समुद्री खाद्य उत्पादों के निर्यात की मात्रा एवं मूल्य का विवरण अनुबंध-I में तथा वस्तुवार (कमोडिटी-वार) निर्यात का विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।

अनुबंध।

समुद्री खाद्य निर्यात के संबंध में 04 अगस्त, 2026 को उत्तर के लिए माननीय संसद सदस्य लोकसभा श्री गणेश सिंह द्वारा पूछे लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2723 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

राज्यवार निर्यात निष्पादन (2021-22 से 2025-26)						
Q: मात्रा टन में, V: मूल्य करोड़ रुपए में						
राज्य		**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**
गुजरात	क्यू	200099	248863	284088	282158	312259
	वी	4421.10	5466.94	5511.36	5889.29	7145.67
महाराष्ट्र	क्यू	193999	214167	222453	227866	281147
	वी	7303.92	7466.47	6923.34	7343.38	9057.83
गोवा	क्यू	36057	63333	55167	45469	49358
	वी	730.64	1007.60	934.20	788.81	903.60
कर्नाटक	क्यू	120427	312347	301183	242143	337239
	वी	1962.19	4737.23	4785.05	3440.57	5371.85
केरल	क्यू	182430	218629	196807	179660	194224
	वी	6971.56	8285.03	7231.84	6941.36	8466.77
तमिलनाडु	क्यू	114810	123157	134317	130315	152144
	वी	6559.64	6957.67	6854.22	7034.59	7660.48
आंध्र प्रदेश	क्यू	324904	328160	347927	366182	409274
	वी	20035.49	19846.95	19420.38	21245.90	23765.11
तेलंगाना	क्यू	3102	6676	11758	11772	11458
	वी	156.91	358.39	565.10	615.42	715.02
ओडिशा	क्यू	86765	85308	84231	92169	100864
	वी	4627.91	4546.47	3954.60	4668.01	5431.95
पश्चिम बंगाल	क्यू	103398	125025	132318	114529	118337
	वी	4742.47	5121.33	4145.51	4321.07	5240.90
दिल्ली	क्यू	766	1083	1294	609	410
	वी	39.00	63.61	79.84	40.52	27.48
अन्य**	क्यू	2507	8536	10058	5299	5306
	वी	35.64	111.47	118.46	79.54	103.80
कुल	क्यू	1369264	1735286	1781602	1698170	1972018
	वी	57586.48	63969.14	60523.89	62408.45	73890.46
***अन्य में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, बिहार, दमन और दीव, पुडुचेरी , उत्तर प्रदेश और झारखंड शामिल हैं*						

अनुबंध II

समुद्री खाद्य निर्यात के संबंध में 04 अगस्त, 2026 को उत्तर के लिए माननीय संसद सदस्य लोकसभा श्री गणेश सिंह द्वारा पूछे लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2723 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

समुद्री उत्पादों का वस्तुवार निर्यात (2021-22 से 2025-26) Q: मात्रा मीट्रिक टन में, V: मूल्य करोड़ रुपए में						
वस्तु		**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**
फ्रोज़न झींगा	**क्यू:**	728123	711099	716004	741529	7,92,647
	वी:	42706.04	43135.58	40013.54	43334.25	49037.93
फ्रोज़न फिश	**क्यू:**	226586	368549	381588	339692	3,55,581
	वी:	3471.91	5503.18	5509.69	5212.12	5658.37
फ्रोज़न कटलफिश	**क्यू:**	58992	54919	54316	59264	67157.00
	वी:	2062.63	2353.34	2252.63	2394.26	2916.04
एफआर स्किड	**क्यू:**	75750	83846	93509	90370	102060.00
	वी:	2806.09	3593.75	3061.46	3078.01	4493.80
सूखे आइटम	**क्यू:**	73679	252918	300966	252948	4,10,410
	वी:	1472.98	3080.92	4070.60	2852.60	5079.09
लाइव आइटम्स	**क्यू:**	7032	7824	7585	7054	8587.00
	वी:	353.36	440.06	397.84	468.01	545.62
ठंडी वस्तुएँ	**क्यू:**	21689	24428	35925	18744	13057.00
	वी:	733.47	616.29	687.19	659.41	622.31
अन्य	**क्यू:**	177414	231703	191709	188570	222520.00
	वी:	3979.99	5246.03	4530.92	4409.80	5537.31
कुल	**क्यू:**	1369264	1735286	1781602	1698170	19,72,018
	वी:	57586.14	63969.14	60523.89	62408.45	73890.46
